HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1281/2026

Mukesh Kumar Gupta S/o Brijmohan Gupta,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohit Khandelwal Mr. Pranav Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

30/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याचीगण/अभियुक्तगण का निवेदन है कि विवाद भागीदारों के बीच में लेन–देन का होकर सिविल प्रकृति का है जिसे अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग देकर कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। उनका यह भी निवेदन है कि परिवादिया रेखा फर्म में भागीदार बनी थी तथा अलग होने पर लौटाई जाने वाली राशि को लेकर विवाद है।

उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में भागीदारी विलेख, रिटायरमेंट डीड, नोटिस व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि आज से 15 दिन में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुसंधान में निरंतर सहयोग करने की शर्त पर उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 212/2025 पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर शहर उत्तर में आगामी आदेश तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

अयाची संख्या–1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।

प्रकरण तीन सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

SHUBHAM/23